**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**14.12.2018 के**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 624 का उत्‍तर**

**रेलवे परिसरों में हुए अपराध**

**624. श्री मो. नदीमुल हक:**

**क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे परिसरों में समूहों/व्‍यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों का जोन-वार ब्‍यौरा क्‍या है;

(ख) गत तीन वर्षों में रेलवे परिसरों में हुए अपराधों के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा गिरफ्तार किए और अभियोजित किए गए लोगों का जोन-वार ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) गत तीन वर्षों में रेलवे परिसरों में हुए अपराधों के लिए लगाए गए जुर्मानों के माध्‍यम से एकत्र की गई कुल राशि का जोन-वार ब्‍यौरा क्‍या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्‍या-क्‍या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**संचार मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) एवं**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री मनोज सिन्‍हा)**

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

रेलवे परिसरों में हुए अपराध के संबंध में 14.12.2018 को राज्‍य सभा में श्री मो. नदीमुल हक के अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 624 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर का **विवरण।**

(क) : रेलों पर पुलिस की व्यवस्था राज्य सरकार का विषय होने के नाते रेल परि‍सरों और चलती गाड़ियों में अपराधों की रोकथाम करना, मामलों का पंजीकरण करना, उनकी जांच करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना, राज्य सरकारों का सांविधिक उत्तरदायित्व है, जिसका निर्वहन वे राजकीय रेल पुलिस (रारेपु)/जिला पुलिस के जरिए करते हैं। बहरहाल, रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) यात्री क्षेत्र और यात्रियों की बेहतर रक्षा और सुरक्षा करने तथा उनसे जुड़े मुद्दों पर राजकीय रेल पुलिस के प्रयासों में सहायता करता है। रेलवे में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) अपराध के मामलों को संबंधित राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है और उनकी जांच की जाती है। रेलवे, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) संबंधी अपराधों का कोई डाटा नहीं रखती है। रेलवे पर अपराध की स्थिति के बारे में जब भी कोई सूचना मांगी जाती है तो उस राज्य की जीआरपी से सूचना मुहैया कराने का अनुरोध किया जाता है। राजकीय रेलवे पुलिस स्टेशनों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, भारतीय रेल पर वर्ष 2015, 2016 और 2017 के दौरान रेलवे स्‍टेशनों पर यात्रियों के प्रति अपराध के दर्ज किए गए मामलों की ज़ोन-वार संख्या परिशिष्‍ट-। के रूप में संलग्‍न है।

(ख) और (ग): भारतीय रेल पर वर्ष 2015, 2016 और 2017 के दौरान रेल सुरक्षा बल द्वारा दर्ज किए गए मामलों, गिरफ्तार किए गए और अभियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा रेल अधिनियम 1989 के विभिन्न प्रावधानों के तहत रेल परिसरों में अपराध करने वालों से वसूल की गई जुर्माने की कुल धनराशि का ब्यौरा परिशिष्‍ट–II के रूप में संलग्न है।

(घ) : रेलों पर इस प्रकार की घटनाओं पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

1. यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रेल के लगभग 453 स्‍टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों द्वारा निगरानी रखी जाती है।

2. विपत्‍ति के समय यात्रियों को सुरक्षा संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए, भारतीय रेलों पर सुरक्षा हेल्‍पलाइन नंबर ‘182’ कार्य कर रहा है।

3. 202 रेलवे स्‍टेशनों पर निगरानी तंत्र सुदृढ़ करने के लिए अधिक संवेदनशील और भेदय रेलवे स्‍टेशनों की क्‍लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरा नेटवर्क, पहुंच नियंत्रण आदि के जरिए भेद्य स्‍टेशनों की इलैक्‍ट्रॉनिक निगरानी वाली एकीकृत सुरक्षा प्रणाली स्‍वीकृत की गई है।

4. चोरी, छीनाझपटी, जहरखुरानी और अन्‍य अपराधों के प्रति चेतावनी देने के संबंध में यात्रियों को जागरूक करने के उद्देश्य से जन उदघोषणा प्रणाली के माध्यम से बार-बार उदघोषणाएं की जाती हैं।

5. यात्रियों की सुरक्षा संवर्धन करने और उनकी सुरक्षा से संबंधित समस्‍याओं के समाधान के लिए रेलवे, ट्विटर, फेसबुक आदि जैसे अन्‍य सोशल मीडिया प्‍लेटफार्मों के जरिए यात्रियों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहती है।

6. महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाती है।

7. अपराधियों के विरूद्ध नियमित अभियान चलाए जाते हैं और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर संगत प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाता है।

8. रेल परिसरों और चलती गाड़ि‍यों में अपराध की रोकथाम, मामलों के पंजीकरण, उनकी जांच और कानून एवं व्‍यवस्‍था बनाए रखने के लिए, रेल सुरक्षा बल द्वारा राज्‍य पुलिस/राजकीय रेल पुलिस के प्राधिकारियों के साथ सभी स्‍तरों पर निकट समन्वय बनाए रखा जाता है।

रेलवे परिसरों में हुए अपराध के संबंध में 14.12.2018 को राज्‍य सभा में श्री मो. नदीमुल हक के अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 624 के भाग (क) के उत्‍तर का **परिशिष्ट-।**

(क) : भारतीय रेल पर वर्ष 2015, 2016 और 2017 के दौरान रेलवे स्‍टेशनों पर यात्रियों के प्रति अपराध के दर्ज किए गए मामलों की संख्‍या निम्‍नानुसार है:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| क्षेत्रीय रेलवे | स्‍टेशनों पर यात्रियों के प्रति अपराध के दर्ज किए गए मामलों की सं. | | |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |
| मध्‍य | 2797 | 2906 | 13249 |
| पूर्व | 285 | 317 | 359 |
| पूर्व मध्‍य | 295 | 221 | 289 |
| पूर्व तट | 125 | 126 | 161 |
| उत्‍तर | 2767 | 2855 | 2758 |
| उत्‍तर मध्‍य | 82 | 88 | 82 |
| पूर्वोत्‍तर | 73 | 59 | 97 |
| पूर्वोत्‍तर सीमा | 37 | 69 | 54 |
| उत्‍तर पश्चिम | 129 | 154 | 185 |
| दक्षि‍ण | 244 | 227 | 671 |
| दक्षि‍ण मध्‍य | 249 | 318 | 341 |
| दक्षि‍ण पूर्व | 70 | 65 | 117 |
| दक्षि‍ण पूर्व मध्‍य | 117 | 191 | 537 |
| दक्षि‍ण पश्चिम | 38 | 61 | 62 |
| पश्चिम | 1013 | 1135 | 7931 |
| पश्चिम मध्‍य | 475 | 583 | 732 |

रेलवे परिसरों में हुए अपराध के संबंध में 14.12.2018 को राज्‍य सभा में श्री मो. नदीमुल हक के अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 624 के भाग (ख) और (ग) के उत्‍तर का **परिशिष्ट-।।**

(ख) और (ग) : भारतीय रेल पर वर्ष 2015, 2016 और 2017 के दौरान रेल सुरक्षा बल द्वारा दर्ज किए गए मामलों, गिरफ्तार किए गए और अभियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा रेल परिसरों में अपराध करने वालों से वसूल की गई जुर्माने की कुल धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्षेत्रीय रेलवे** | **वर्ष** | **रेल परिसरों में अपराध करने के लिए रेल अधिनियम के तहत रेल सुरक्षा बल द्वारा दर्ज किए गए मामलों की संख्या** | **गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या** | **अभियोजित किए गए व्यक्तियों की संख्या** | **जुर्माने के रूप में वसूल की गई कुल राशि (रु. में)** |
| मध्‍य | 2015 | 50222 | 50202 | 49324 | 17343976 |
| 2016 | 61541 | 61401 | 59696 | 20562693 |
| 2017 | 60136 | 59914 | 58566 | 26079840 |
| पूर्व | 2015 | 18268 | 48722 | 48722 | 12307539 |
| 2016 | 21834 | 66809 | 66809 | 15378393 |
| 2017 | 22147 | 65401 | 65401 | 17097136 |
| पूर्व मध्‍य | 2015 | 12345 | 13298 | 13298 | 4948875 |
| 2016 | 11246 | 12081 | 12081 | 4671165 |
| 2017 | 10338 | 11051 | 11051 | 4508786 |
| पूर्व तट | 2015 | 28688 | 28690 | 28690 | 3925570 |
| 2016 | 30149 | 30287 | 30287 | 4453490 |
| 2017 | 33690 | 33692 | 33692 | 4853783 |
| उत्‍तर | 2015 | 79846 | 99276 | 97908 | 24204255 |
| 2016 | 78882 | 88895 | 88579 | 25804965 |
| 2017 | 77804 | 86403 | 85039 | 28570953 |
| उत्‍तर मध्‍य | 2015 | 18380 | 18380 | 18380 | 6736401 |
| 2016 | 14717 | 14672 | 14682 | 9785689 |
| 2017 | 30135 | 29951 | 29951 | 12911484 |
| पूर्वोत्‍तर | 2015 | 16850 | 16723 | 16723 | 8132354 |
| 2016 | 18613 | 18414 | 18414 | 9281787 |
| 2017 | 20965 | 20216 | 20216 | 57521988 |
| पूर्वोत्‍तर सीमा | 2015 | 7447 | 13653 | 8200 | 4749387 |
| 2016 | 10590 | 16687 | 10885 | 5824279 |
| 2017 | 11877 | 15982 | 12105 | 6152640 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्षेत्रीय रेलवे** | **वर्ष** | **रेल परिसरों में अपराध करने के लिए रेल अधिनियम के तहत रेल सुरक्षा बल द्वारा दर्ज किए गए मामलों की संख्या** | **गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या** | **अभियोजित किए गए व्यक्तियों की संख्या** | **जुर्माने के रूप में वसूल की गई कुल राशि (रु. में)** |
| उत्‍तर पश्चिम | 2015 | 20508 | 20409 | 20409 | 4707753 |
| 2016 | 27022 | 26975 | 26972 | 6505639 |
| 2017 | 28753 | 28573 | 28539 | 6072153 |
| दक्षिण | 2015 | 79422 | 79472 | 79231 | 21622460 |
| 2016 | 81016 | 81139 | 81121 | 22805228 |
| 2017 | 86277 | 86363 | 86311 | 27220622 |
| दक्षिण मध्‍य | 2015 | 57656 | 71435 | 71435 | 13388918 |
| 2016 | 82274 | 95745 | 95745 | 16359835 |
| 2017 | 90572 | 112206 | 112206 | 20813435 |
| दक्षिण पूर्व | 2015 | 18572 | 19372 | 19372 | 4670176 |
| 2016 | 21243 | 21457 | 21457 | 4931399 |
| 2017 | 22409 | 22159 | 22159 | 5177706 |
| दक्षिण पूर्व मध्‍य | 2015 | 24839 | 24854 | 24854 | 9709325 |
| 2016 | 22133 | 22116 | 22054 | 7779370 |
| 2017 | 20483 | 20427 | 20372 | 6406364 |
| दक्षिण पश्चिम | 2015 | 14658 | 14477 | 14476 | 3447291 |
| 2016 | 15869 | 15582 | 15579 | 3929825 |
| 2017 | 16700 | 16401 | 16399 | 5034135 |
| पूर्वोत्‍तर | 2015 | 110462 | 110418 | 110353 | 25305050 |
| 2016 | 108961 | 108886 | 109473 | 28410291 |
| 2017 | 108342 | 108250 | 108022 | 24922091 |
| पश्चिम मध्‍य | 2015 | 158051 | 157995 | 157745 | 64786021 |
| 2016 | 213917 | 212757 | 211392 | 83373603 |
| 2017 | 224302 | 224215 | 221816 | 85131654 |

\*\*\*\*\*